संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

ब्लॉक ए – तृतीय तल, ईन्द्रावती भवन

अटल नगर, नवा रायपुर

क/स.स्वा.से./स्टेनो/ 53 **नवा रायपुर, दिनांक** 25/03/2020

आदेश

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगटन द्वारा कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए हैल्थ इमरजेन्सी घोषित की गई है। छत्तीसगढ राज्य में भी राज्य शासन द्वारा उसके संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु छत्तीसगढ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा एपिडेमिक डिजीस एक्ट 1897 (कमांक 3) के सेक्शन 2, 3 एवं 4 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के तहत् अधिसूचना क एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 जारी की गई है।

छत्तीसगढ पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 (कमांक 36) की धारा 50 एवं 51 के तहत् अधिसूचना कमांक एफ 3–59/2019/9/55 – 4 नवा रायपुर दिनांक 23.03.2020 जारी की गई है जिसमें नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 को सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य के लिए संकामक रोग एवं अधिसूचित संकामक रोग घोषित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा जारी उपरोक्त कंडिका 1 में उल्लेखित अधिसूचना के द्वारा जारी छत्तीसगढ एपिडेमिक डिजीस कोविड–19 विनियम 2020 कंडिका क 3 के तहत् **संचालक स्वास्थ्य सेवायें** को जारी उक्त विनियम के पालन हेतु राज्य स्तर हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में अधिसूचित संकामक रोग कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि उक्त संकामक रोग के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग होम/ हॉस्पीटल का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

अतः छत्तीसगढ एपिडेमिक डिजीस कोविड–19 विनियम 2020 की कंडिका 3 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भानसोज रोड, गोढी, जिला रायपुर** को मय समस्त मानव संसाधन एवं उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों सहित दिनांक 25 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया जाता है। संबंधित संस्था के संचालक शासन के दिशा–निर्देशों के अनुरुप संस्था के संचालन में पूर्ण सहयोग करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

25/03/2020

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
एवं
प्राधिकृत अधिकारी

Scanned with CamScanner

क्र०/स.स्वा.से./स्टेनो/54 दिनांक 25/03/2020

प्रतिलिपिः

1. सचिव, छत्तीसगढ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीगसढ शासन।
3. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ शासन।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नवा रायपुर।
5. संचालक महामारी, छत्तीसगढ शासन।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ तत्काल उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त करने का कष्ट करें।
7. संभागायुक्त, रायपुर संभाग।
8. कलेक्टर, जिला रायपुर।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर।

उपरोक्त को सूचनार्थ।

10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि छत्तीसगढ पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 की धारा 53 के तहत् संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से उक्त संस्थान, अधिसूचित संक्रामक रोग कोरोना वायरस कोविड–19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
11. संचालक, **रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भानसोज रोड, गोढी, जिला रायपुर** की ओर पालनार्थ।
12. सचिव, ग्राम पंचायत, गोढी (स्थानीय प्रधिकारी) छत्तीसगढ पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 की धारा 53 के तहत् संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से उक्त संस्थान, अधिसूचित संक्रामक रोग कोरोना वायरस कोविड–19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
एवं
प्राधिकृत अधिकारी

Scanned with CamScanner